

दि. 29/2019

हरनामदास व सुरताबाई का बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

दुलम या कार्यवाही मय इमिग्रेशन जज

9-1-20

पत्रावली पेश हुई जिसका अध्ययन एवं मनन किया गया जिसका संक्षिप्त सार निम्न है

हरनामदास सुरताबाई पि० निहालचन्द जाति कम्लोज साकिज 61 एक तहसील श्री करनपुर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निलेख किया है कि उसके पिता निहालचन्द पुत्र वसुराम जाति कम्लोज सा० 61 एक ने एक नोटरी पब्लिक से एटेस्टड वसीयत से चक 61 F की भूमि उनके नाम से की है जिसका इन्तकाल दर्ज करने की मांग की है। वसीयत कर्ता की मृत्यु दिनांक 22-3-2019 को हो चुकी है का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है

सलंगन वसीयत की प्रति का प्रतिलोकन किया जाया। जिसके अनुसार वसीयत कर्ता ने चक 61 F का मु. नं. 7=0152 मु. नं. 21=3668 है कु. 34=0088 है कुल 3908 है रकबा अपने पुत्र हरनामदास पुत्र वसुराम व पुत्री सुरताबाई पि० निहालचन्द जाति कम्लोज सा० 61 एक तहसील श्री करनपुर के नाम करने की इच्छा जाहिर की है वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सलंगन की गई जिसके अनुसार निहालचन्द की मृत्यु 22-3-19 को चक 61 F तहसील श्री करनपुर में हो चुकी है। वसीयत 17-1-19 को नोटरी श्री करनपुर से की गई है।

वसीयत के सम्बन्ध में कलका पत्रवारी से रिपोर्ट ली गई, मुताबिक रिपोर्ट पत्रवारी शरणजी चक 61 F का मु. नं. 7=0152 है मु. नं. 22=3668 है मु. नं. 34=0088 है कुल 3908 है नही भूमि में से 3668 है निहालचन्द पुत्र वसुराम जाति कम्लोज के नाम खतदारी दर्ज है। रकबा वसीयत कर्ता को विरासत प्राप्त हुआ है। उम्मेदारी पर कलका वसीयत कर्ता के कौलान का है

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

स हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इमिडियट्स नं. 2

रकबा सीमा सीमा से प्रभावित नहीं है रकबा रश्न
 क्षेत्र नहीं है। रकबा पर किसी न्यायलय का हयागत
 आदेश नहीं है। न ही किसी न्यायलय में वाद
 विचाराधीन है रकबा सार्वजनिक कार्य के लिए
 अवाप्त/अरक्षित नहीं है का उल्लेख किया गया
 है जमाबंदी नकल परतरी हलका से प्रमाणित है
 इस न्यायलय के पत्र क्रमांक /नं. 90/भू.र/2019/
 2174-75 दिनांक 20-9-2019 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध
 में आपति/एतराज वाकत किसी दैनिक समाचार
 पत्र में प्रकाशित करना के लिए विज्ञापित जारी
 की गई जो सार्वजनिक दैनिक समाचार पत्र सीमा
 से देश दिनांक 21-9-19 के अंक में पृष्ठ संख्या 4
 कॉलम नं. 6 में प्रकाशित हुई सार्वजनिक सूचना
 प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस न्यायलय
 में वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपति/एतराज प्राप्त
 नहीं हुआ।

वसीयत में दर्ज गवाह सुखदेव चंद पुत्र जामचंद
 जाति कम्बोज निवासी 61 एक व सुरेश कुमार पुत्र
 जामचंद जाति कम्बोज निवासी 61 एक तहसील
 करनपुर ने दिनांक 7-10-19 को अदालत हाजा में उपस्थित
 होकर अपने बयान दर्ज करवाये कि उनके समक्ष वसीयत
 कर्ता निहालचंद पुत्र बसुराम ने-चक 61 एक की धर्म
 की वसीयत लिखाई थी जो सही है होन बतलाया गया
 एवं वसीयत पूर्ण होश हवाल में रजामती से होना
 बताया गया एवं शपथ पत्र भी पेश किये कब्रि
 वसीयत कर्ता को रकबा विरासत प्राप्त हुआ हलका
 परतरी रिपोर्ट में बताया गया लिहाना वसीयत कर्ता
 के अतिरिक्त गुरावारी रेशामावारी मि० निहालचंद व
 मृतक पुत्री कौशल्या देवी के वारिसात पुत्र पवन कुमार
 व पुत्री विमला देवी मि० कौशल्या पुत्री निहालचंद पति
 करामीराल साकि 24 पी.वी एन तहसील पीपीबीगा
 जिला हनुमान गढ़ ने दिनांक 3-1-2020 को अदालत
 में उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाये कि वसीयत
 सही है हमें वसीयत पर कोई एतराज नहीं हुआ

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

प्रति

तारखे वृत्त

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

क्रिया जाता है कि मुताबिक वसीयत दिनांक
 17-1-19 के अगुसार चक 61 ई का मु न 7=0152
 है मु न: 21=3.668 है मु न: 34=0.088 है
 कुल रकबा 3.908 है मे से वसीयतकर्ता का
 हिस्सा 3.668 है धरती वसीयत मुहिता हरगाव
 दास पुत्र निधालचंद व सुरतांवारी पुत्री निधालचंद
 जाति कम्बोज निवासी 61 एक के गाद व-दि वरा
 दर्ज कर पालता से असात कराया जाने पत्रावली
 फिसल अगार होकर दफ्तर दाखिल है।

9.1.20

[Faint handwritten text, likely a witness statement or court record, partially obscured by the main text.]

[Faint handwritten text, likely a witness statement or court record, partially obscured by the main text.]